संख्या–635/XLI-1/2011–92/05

प्रेषक,

ओ0पी0तिवारी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चम्पावत/नैनीताल/चमोली/उत्तरकाशी/हरिद्वार।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 8 जून, 2011

विषय– वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय पालीटैक्निक संस्थानों के छात्रावास/आवासीय भवन निर्माण/बाउण्ड्रीवाल/छात्रावास मरम्मत कार्य/अपूर्ण भवनों कों पूर्ण करना/कान्फेंसिंग रूम निर्माण आदि कार्यो हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि एवं जनपद हेतु निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत कुल धनराशि ₹50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) निम्न तालिकानुसार सम्बन्धित जनपद के सम्मुख अंकित धनराशि को उस जनपद के जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क0सं0	नाम जनपद	स्वीकृत धनराशि (लाख ₹में)
1.	चम्पावत	24.00
2.	नैनीताल	1.00
3.	चमोली	7.01
4.	उत्तरकाशी	16.15
5.	हरिद्वार	1.84
	कुल योगः–	**50.00**

(रूपये पचास लाख मात्र)

2– स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद हेतु जिला योजना के अन्तर्गत निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत जिला अनुश्रवण समित द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु संस्तुत कार्यो के लिए किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है, साथ ही सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित प्रतिबन्ध एवं शर्तो का पूर्णतः पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

5– कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण एजेन्सी के साथ वित्त विभाग के आदेशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– उक्त योजनान्तर्गत चालू निर्माण कार्यो हेतु पूर्व में निर्गत धनराशि के सापेक्ष कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या सन्तोषजनक होने तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के उपरान्त ही अगली किश्त अवमुक्त की जाय तथा कार्य की प्रगति आख्या से शासन को भी अवगत कराया जाय।

8– उक्त योजनान्तर्गत नये कार्यो के आगणनों का परीक्षणोपरान्त स्वीकृति के सम्बन्ध में राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.2008 में दी गयी व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–02–तकनीकी शिक्षा–104–बहुशिल्पि–आयोजनागत–91–जिला योजना–01–पालिटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण–24–वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 में प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओ0पी0तिवारी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढ़वाल।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत/नैनीताल/चमोली/उत्तरकाशी/हरिद्वार।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन अनुभाग।
7. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।